न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–47 / 2016–17

कामेश्वर राय वगैरह बनाम राज्य एवं श्याम बाबु राय

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
06/01/18	**आदेश** कामेश्वर राय एवं बालेश्वर राय, पिता स्व0 राम ईश्वर राय, मु0–सरिस्ताबाद पूर्वी टोला, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना के द्वारा यह बाद श्याम बाबु राय, पिता स्व0 राधे राय, मु–सरिस्ताबाद, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना की मौजा चितकोहरा, थाना नं0–17 में कायम जमाबंदी सं0 3948 को रद्द करने हेतु यह वाद दायर किया गया है। इस वाद में राज्य को भी पक्षकार बनाया गया है। **आवेदकगण का कथन है कि** (1) आवेदकगण के दादा महावीर गोप के द्वारा दिनांक 25.08.1909 के निबंधित केवाला से शिव प्रसाद गोप से खेसरा नं0 1641 एवं 1649 रकवा 15 कठ्ठा की खरीद की गयी थी। (2) महावीर गोप के द्वारा दिनांक 21.01.1941 के केवाला से मो0 अजीजउद्दीन अशरफ से प्लाट नं0 1641 एवं 1649 के 15 कठ्ठा की खरीद की गयी। मो0 अजीजुद्दीन अशरफ के द्वारा उक्त भूखण्ड नीलामी से खरीदी गयी थी, जो लक्ष्मी गोप की थी। इस प्रकार महावीर गोप प्रश्नगत खाता, खेसरा की कुल $1\frac{1}{2}$ बीघा जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त कर शांतिपूर्ण दखल में आये तथा तत्कालीन जमीन्दार को लगान अदा करने लगे। (3) महावीर गोप के एक पुत्र रामकृत राय हुए, जो पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये। रामकृत राय को एक पुत्र राम ईश्वर राय हुए तथा उनके तीन पुत्र कामेश्वर राय, बालेश्वर राय एवं नागेश्वर राय हुए। (4) महावीर गोप की मृत्यु के पश्चात रामकृत राय के द्वारा अपने नाम से दाखिल खारिज करा कर जमाबंदी सं0 06 कायम करायी गयी जो वाद में परिवर्तित होकर 173 हो गयी। (5) रामकृत राय की मृत्यु के उपरान्त उनके एक मात्र पुत्र रामईश्वर राय के द्वारा पिता के नाम पर ही लगान का भुगतान किया जाता रहा है। (6) राम ईश्वर राय की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र कामेश्वर राय एवं बालेश्वर राय के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{17}{3}$ वर्ष 2014–15 के द्वारा अपने नाम से जमाबंदी सं0 4477 एवं 4478 कायम करायी गयी। (7) विपक्षी श्याम बाबु राय के द्वारा प्रश्नगत खाता, खेसरा की जमाबंदी अवैध ढंग से अपने नाम से कायम करा ली गयी है। श्याम बाबु राय के नाम से कायम जमाबंदी सं0 3948 को रद्द करने योग्य है।	

आवेदकगण के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

1. दिनांक 25.08.1909 का केवाला एवं उसका हिन्दी अनुवाद
2. दिनांक 22.01.1941 का केवाला एवं उसका हिन्दी अनुवाद
3. जमीन्दारी रसीद
4. राम कृत राय के नाम से निर्गत वर्ष 1967–68 की लगान रसीद
5. दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{17}{3}$ वर्ष 2014–15 का आदेश
6. कामेश्वर राय की जमाबंदी सं0 4477 पर निर्गत वर्ष 2014–15 की लगान रसीद
7. कामेश्वर राय के नाम से निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र
8. बालेश्वर राय की जमाबंदी सं0 4478 पर निर्गत वर्ष 2014–15 की लगान रसीद
9. वालेश्वर राय के नाम से निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र

विपक्षी श्याम बाबु राय का कहना है कि

(1) यह जमाबंदी वाद भ्रामक तथ्यों के आधार पर लाया गया है, जो रद्द करने योग्य है।

(2) प्रश्नगत खेसरा सं0 1641 एवं 1649 के खतियानी रैयत झुब्बु महतो थे। झुब्बु महतो के दो पुत्र लक्ष्मी महतो एवं शिव प्रसाद महतो हुए। प्रश्नगत भूखण्ड पर झुब्बु महतो के दोनों पुत्रों का बराबर का हिस्सा था।

(3) शिव प्रसाद महतो के द्वारा दिनांक 25.08.1909 को अपने हिस्से का आधा भूखण्ड महावीर गोप को बेच दिया गया, परन्तु लक्ष्मी महतो का अपना हिस्सा उनके पास बरकार रहा।

(4) लक्ष्मी महतो अपने पीछे एकमात्र पुत्र मोती राय को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गये। मोती राय भी अपने पीछे एकमात्र पुत्र राघो राय को छोड़ कर स्वर्गवास हो गये। राघो राय को छः पुत्र श्याम बाबु राय, सुरेश प्रसाद, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार, विजय कुमार एवं उदय कुमार हुए।

(5) खेसरा सं0 1641 रकवा $22\frac{1}{2}$ डी0 एवं खेसरा सं0 1649 रकवा–27डी0 की जमाबंदी सं0 5237 राघो राय के नाम से कायम थी। राघो राय अन्य भूखण्ड के साथ उक्त $49\frac{1}{2}$डी0 भूखण्ड पर शांतिपूर्ण दखल में थे तथा सरकार को लगान अदा करते आ रहे थे।

(6) राघो राय अपने पीछे छः पुत्रों को छोड़ कर दिनांक 11.01.2013 को मृत्यु को प्राप्त हुए। राघो राय की मृत्यु के पश्चात उनके छः पुत्रों के नाम से अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड के लिए जमाबंदी सं0 3948 कायम की गयी तथा लगान रसीद निर्गत हो रही है।

(7) आवेदकगण के द्वारा पाँच भाईयों को छोड़कर मात्र एक भाई श्याम बाबु राय को ही पक्षकार बनाया गया है, जो अनुचित है तथा इसी आधार पर यह वाद रद्द करने योग्य है।

(8) राघो राय के द्वारा खेसरा सं0 1649 रकवा 8 कठ्ठा 6 धुर दिनांक 27.07.1949 को कैलाश गोप के साथ रेहन रखा गया था, जिसे दिनांक 30.02.1971 को छुड़ाया गया। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत भूखण्ड राघो राय के दखल में है।

(9) राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण के दौरान वर्ष 1980 में प्रश्नगत प्लॉट

से कुछ मिट्टी काटी गयी थी, जिसका भुगतान राघो राय को मिला था।

(10)वर्ष 2014 में खेसरा सं0 1641 सहित अन्य दो प्लॉट का अर्जन किया गया, जिसका 37 लाख मुआवजा दिया गया। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर श्यामबाबु सहित सभी भाईयों का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है।

(11)श्याम बाबु राय एवं उनके भाईयों के नाम से वर्ष 2014–15 में कोई नई जमाबंदी कायम नहीं की गयी, बल्कि राघो राय के नाम से पूर्व से जमाबंदी सं0 5237 कायम थी। उतराधिकारी के आधार पर उनके छः पुत्रों के नाम से जमाबंदी सं0 3948 कायम की गयी।

(12) आवेदकगण के द्वारा धोखाधड़ी कर के खेसरा सं0 1641 एवं 1649 के कुल रकवा $1\frac{1}{2}$ बीघा की रसीद अपने नाम से कटवा ली गयी है, जबकि प्रश्नगत खेसरों में उनका रकवा शेष नहीं है।

(13) आवेदकगण दिनांक 25.08.1909 के जिस डीड की बात कर रहे है, उसमें तौजी नं0, खाता नं0, खेसरा नं0 एवं थाना नं0 अंकित नहीं है। जहाँ तक दिनांक 21.01.1941 की डीड का प्रश्न है, जो अजीजुद्दीन अशरफ के द्वारा महावीर गोप को लिखी गयी है, की चौहदी में लक्ष्मी गोप का नाम अंकित है। दोनों प्लॉट की चौहदी में लक्ष्मी गोप का नाम अंकित रहने से यह प्रमाणित होता है कि लक्ष्मी गोप की जमीन की नीलामी नहीं हुई थी तथा वर्ष 1941 में वे अपने आधे–हिस्से पर दखल में थे।

(14) आवेदकगण के द्वारा अवैध ढंग से जमाबंदी सं0 4477 एवं 4478 कायम करायी गयी है, जो रद्द करने योग्य है।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) राघो राय की जमाबंदी पंजी

(2) जमीन्दारी रसीद

(3) राघो राय के नाम से निर्गत वर्ष 1968–69 की लगान रसीद

(4) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{379}{3}$ वर्ष 2013–14 का आदेश

(5) श्याम बाबु राय एवं अन्य की जमाबंदी सं0 $\frac{3948}{1}$ पर निर्गत वर्ष 2018–19 की लगान रसीद

(6) दिनांक 27.07.1949 का रेहननामा

(7) वर्ष 1979–80 की भू–अर्जन की नोटिस जो राघो राय के नाम से निर्गत है।

(8) श्याम बाबु राय एवं अन्य के नाम निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल कागजातों के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) आवेदकगण का यह दावा है कि प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी पूर्व में रामकृत राय के नाम से कायम थी। बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{17}{3}$ वर्ष 2014–15 के द्वारा आवेदकगण के नाम से जमाबंदी सं0 4477 एवं 4478 कायम की गयी।

दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{17}{3}$ वर्ष 2014–15 के आदेश की सत्यापित प्रति की छाया–प्रति आवेदकगण के द्वारा संलग्न की गयी है। उक्त आदेश में राजस्व कर्मचारी का जो प्रतिवेदन दिया गया है, उसमें रामकृत राय के

नाम पर प्रश्नगत खेसरे 1641 एवं 1649 अंकित नहीं है परन्तु, कामेश्वर राय एवं वालेश्वर राय के नाम पर उन खेसरों को दर्ज कर दिया गया है।

दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{17}{3}$ वर्ष 2014–15 में रामकृत राय के नाम पर खाता सं0 145 रकवा 23डी0 तथा खाता सं0 144 रकवा 15 कठ्ठा 17 धुर दिखाया गया है, जो कुल लगभग 72 $\frac{1}{2}$डी0 होता है। रामकृत राय की कुल $72\frac{1}{2}$ डी0 की जमाबंदी से खारिज कर कामश्वेर राय एवं बालेश्वर राय के नाम से 41.978+41.978 कुल 83.956 डी0 की जमाबंदी कायम कर दी गयी है।

इस प्रकार दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{17}{3}$ वर्ष 2014–15 के द्वारा कामेश्वर राय एवं बालेश्वर राय के नाम से कायम जमाबंदियाँ संदिग्ध हो जाती है।

(2) विपक्षी श्याम बाबु राय एवं अन्य के नाम से कोई नई जमाबंदी कायम नहीं की गयी है, बल्कि उनके पिता राघो राय के नाम से पूर्व से जमाबंदी कायम थी, जिसके प्रमाण के रूप में वर्ष 1968–69 की लगान रसीद की छाया–प्रति दाखिल की गयी है। जमाबंदी पंजी की भी छाया–प्रति दाखिल की गयी है, जो वर्ष 1974–75 से 1988–89 की अवधि की है। यह जमाबंदी पेज नं0 $\frac{18-217}{15}$ से लाये जाने का तथ्य जमाबंदी पंजी पर अंकित है। वर्ष 1968–69 की लगान रसीद से यह प्रमाणित होता है कि राघो राय के नाम से 1968–69 के पूर्व से जमाबंदी कायम थी। इतने लम्बे वर्षो से कायम जमाबंदी को राजस्व न्यायालय के द्वारा रद्द किया जाना विधि सम्मत नहीं होगा।

(3) आवेदकगण के द्वारा मात्र श्याम बाबु राय को पक्षकार बनाया गया है, जबकि प्रश्नगत जमाबंदी सं0 3948 श्याम बाबु राय एवं उनके अन्य पांच भाईयों के नाम संयुक्त रूप से कायम है।

सम्यक विचारोपरान्त मेरा यह मानना है कि आवेदकगण का आवेदन विचार योग्य नहीं है। आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

6/9/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

6/9/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना